भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 815
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

अवयस्क की परिभाषा

815. श्री अनिल यशवंत देसाई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अवयस्क के हाथों से कई घातक दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार शराब पीने, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह, महिलाओं के प्रति अपराध जैसे सभी प्रयोजनों के लिए 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अवयस्क और अन्य सभी व्यक्तियों को 14 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क मानकर उनकी आयु सीमा को युक्तिसंगत बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर न्यायालय में वयस्क उल्लंघनकर्ताओं के रूप में मुकदमा चलाने के संबंध में कोई मांग की गई है या सुझाव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों से कैलेंडर वर्ष के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्रित करता है और अपने वार्षिक प्रकाशन 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' में इन आंकड़ों को प्रकाशित करता है । हालाँकि, देश में अवयस्कों के कारण होने वाली घातक सड़क दुर्घटनाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी/डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

****